

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या—क0नि0-2-1718 / ग्यारह-9(81) / 91-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(122)-2014
लखनऊःदिनांकः 12 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2014-15 में उत्पादित नान लेवी चीनी को निम्न शर्तों के अधीन कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करते हैं:-

- (एक) विकेता चीनी मिल केता व्यापारी को कमिशनर वाणिज्यकर द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि विकीत चीनी का निर्माण पेराई सत्र 2014-15 में किया गया है तथा यह चीनी कर के उद्ग्रहण से मुक्त है।
- (दो) केता व्यापारी ऐसी चीनी पर उपर्युक्त निर्माता को कर का भुगतान नहीं करेगा।
- (तीन) केता व्यापारी अनुवर्ती केता व्यापारी, यदि कोई है, जो ऐसी चीनी भिन्न स्थानीय क्षेत्र में लाना चाहता है, चीनी मिल द्वारा जारी उक्त प्रमाण-पत्र के विरुद्ध क्य की गयी चीनी के सम्बन्ध में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी पश्चात्वर्ती स्तर पर कोई प्रवेशकर देय नहीं है, को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 के नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन विहित घोषणा-पत्र जारी करेगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्य से, उपर्युक्त खण्ड (एक) में विहित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने पर यह माना जायेगा कि ऐसे केता की ओर से ऐसी चीनी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 4 की उपधारा (3क) के प्रयोजन के लिए कर का भुगतान कर दिया गया है।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।